N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0163 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/08/2024 14:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 07/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 10/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:46 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/08/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/08/2024 14:27:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 22 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** VATIKA ,JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ARCHANA MEENA.

(b) **Husband's Name (पति का नाम):** VINIT KUMAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 14/03/1980 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SARAI, BAMANWAS, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SARAI, BAMANWAS, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DAYARAM MEENA		पिता:HARINARAYAN MEENA	1. CHANDA KI JHAOPRIYA,POST BADA GOAN SARWAR,BONLI,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि परिवादी श्री बन्टी यादव पुत्र श्री रामप्रसाद यादव जाति यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी डुडाली ढाणी, गांव दादिया, ब्लॉक वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ने दिनांक 07.06.2024 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.यू. प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के नाम से सम्बोधितशुदा प्रार्थना पत्र श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भ्रनिब्यूरो जयपुर के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत कि मैं प्रार्थी बन्टी यादव पुत्र श्री रामप्रसाद यादव उम्र 29 निवासी डुडाली ढाणी पंचायत दादिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर का रहने वाला हूं। मैं बीए ग्रेजुएट हूं। मेरे कस्बे में लाइट की समस्या है जिसका कारण ट्रान्सफार्मर में उसकी क्षमता से ज्यादा कनेक्शन होना और लाईट दूर से आने के कारण उसकी केबल बार -2 खराब हो जाती है जिससे हमारे कस्बे में लाईट की समस्या बनी रहती है मेंने इस समस्या के निवारण हेतु हमारे गांव में प्रशासन शहरों के संग अभियान में सहायक अभियंता को प्रार्थना पत्र भी दिया था जो 16.06.2023 को दिया था तब मुझे आश्वासन दिया गया था कि हमारी समस्या का समाधान कर दिया जायेगा तब से आज तक मेंने कनिष्ट अभियंता और सहायक अभियंता को बार-2 ग्रेड वाटीका जाकर हमारी समस्या के समाधान के लिये बोलता था उनके द्वारा यही बोला जाता था कि 10 से 15 दिन में आपकी समस्या हल हो जायेगी लेकिन कुछ भी समाधान नहीं होता था इसके अतिरिक्त तब से वाटीका लैनमेन दयाराम मीणा द्वारा हमसे पैसे की डिमांड की जा रही है वो बोलता है कि बिना पैसे दिये तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा अगर तुम पैसे दोगे तो में तुम्हारा काम कर दूंगा वह हमारे पास 1.06.2024 को आया था हम लोगो 4 लोगो को बोल रहा था तुम सब मिलकर मुझे 20,000 रू दे दोगे तो में कल ही नया ट्रान्सफार्मर रख दूंगा लेकिन हमने मना कर दिया फिर वो 05.06.2024 को शाम को फिर से पैसे की डिमांड करने लगा मेंने उसको आश्वासन दिया कि में पैसे दे दूंगा जिसमें मेरा हिस्सा के 5000 रू आते है आज वह हमारे ट्रान्सफार्मर लगा रहा है वो ट्रान्सफार्मर लगाने के बाद वह मेरे से दयाराम मीणा 5000 रू मांगेगा में रिश्वत के 5000 रू दयाराम मीणा को नहीं देना चाहता हूं मेरा उससे पहले कोई उधार लेनदेन नहीं है न ही रंजिस है में उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते हेए पकडवाना चाहता हूं कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। जिस पर श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र पर एस.यू. प्रथम आवश्यक कार्यवाही का पृष्ठांकन कर मन् पुलिस निरीक्षक को तलब कर परिवादी का प्रार्थना पत्र मय परिवादी को सुपूर्द किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी के प्रार्थना पत्र व परिवादी को लेकर कार्यालय कक्ष में आयी। परिवादी से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना, प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार कर सही होना बताकर अंकित तथ्यों की ताईद की गयी। परिवादी से मजीद दरियाफ्त करने पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि हमारे ढाणी लाईट की समस्या होने से कई बार निवेदन करने पर भी ट्रांसफार्मर चेंज नहीं किया जा रहा है जिसकों चेंज करने के लिये लाईनमेन वाटिका श्री दयाराम मीणा द्वारा 20,000/- रूपये की मांग की जा रही है। दिनांक 01.06.2024 को लाईनमेन हमारी ढाणी पर आया तथा 4 लोगों को बोला की आप सब आपस में मिलकर 20,000/- रूपये देने पर कल ही नया ट्रांसफार्मर रख दूंगा लेकिन शाम को फिर से पैसे की डिमांड की गयी तथा मेरे से मेरे हिस्से के 5000/- रूपये आना बताया। आज दिनांक 07.06.2024 को हमारे ट्रांसफार्मर लग रहा है। लाईनमेन दयाराम मीणा ट्रांसफार्मर लगाने के बाद 5000/- रूपये मेरे से लेगा। परिवादी ने दयाराम मीणा से कोई उधार का लेन देन शेष नहीं होना व कोई भी आपसी रंजिस होना नही बताया है। परिवादी के प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पृथम दृष्टया पाया जाने से सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर दिनांक 07.06.2024 समय 12.40 पी.एम पर परिवादी श्री बंटी यादव का कार्यालय के कर्मचारी श्री रविन्द्र कानि. 467 को तलब कर उसका परिवादी से आपस मे परिचय करवाया गया तथा कार्यालय एच.एम. श्री जगदीश मुख्य आरक्षक 124 से कार्यालय हाजा की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर उसे खाली होना सुनिश्चित किया गया। परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से समय 12.56 पी.एम. पर संदिग्ध आरोपी दयाराम मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल किया, परिवादी व संदिग्ध आरोपी की वार्ता को मोबाईल का लाऊड स्पीकर ऑन करके डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे रिकार्डर किया गया। परिवादी श्री बंटी यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिश्वत राशि की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवादी श्री बंटी यादव को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपूर्द किया गया। फर्द सुपूर्दगी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गयी। परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व

बंद करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री बंटी यादव को संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बंध मे उसे आपस मे होने वाली वार्ता को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये। परिवादी बंटी यादव को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री रविन्द्र कुमार कानिस्टेबल नम्बर 467 के साथ सत्यापन हेतु गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद रविन्द्र कानि. 467 ने कार्यालय मे मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर पूर्व मे परिवादी को सुपूर्द किया गया डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रख लिया व श्री रविन्द्र कानि. ने बताया कि आज मे व परिवादी श्री बंटी यादव निर्देशानुशार आज दिनांक 07.06.2024 समय 01.00 पी.एम. पर एसीबी कार्यालय से रवाना होकर करीब 01.30 पी. एम. पर गॉव दादीया तहसील सांगानेर पहॅूचे जहां पर परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु करवाकर रवाना किया । कुछ समय पश्चात परिवादी ने जरिये फोन अवगत कराया कि लाईन मैन दयाराम तो यहां से चला गया है। इसके पश्चात परिवादी ने मेरे पास आकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपूर्द किया जिसको मैने बंद कर मेरे पास सुरक्षित रख लिया। मैने परिवादी को अपने साथ ब्यूरो कार्यालय साथ चलने के लिये कहां तो परिवादी ने बताया कि अभी मुझे घर पर आवश्यक कार्य होने से आपके साथ नहीं चल सकता हॅू। तत्पश्चात मैने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर वहां से रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित आया हॅू। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड परिवादी व संदिग्ध आरोपी की पूर्व मे मोबाईल पर हुयी वार्ता जिसे मोबाईल का लाऊड स्पीकर ऑन करके डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे रिकार्डर किया गया था, को सरसरी तौर पर सुना गया। जिसमें परिवादी व संदिग्ध आरोपी की आपसी बातचीत डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होना पाई गई। दिनांक 10.06.2024 समय 09.45 ए.एम. पर श्री रविन्द्र कानि 467 उपस्थित कार्यालय होकर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि समय करीब 09.00 ए.एम. पर परिवादी का मेरे पास फोन आया व बताया कि मैं कार्यालय मे नहीं आ सकता हॅू , आप मेरे गॉव दादीयां ही आ जाओ, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रखा हुआ डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री रविन्द्र कानि. को सुपूर्द कर परिवादी द्वारा बताये गये स्थान पर मिलने एवं गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रवाना किया । समय 12.30 पी.एम. पर श्री रविन्द्र कानि. ने कार्यालय मे मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर उसको पूर्व मे सुपूर्द किया गया डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रख लिया व रविन्द्र कानि. ने बताया कि आज मैं निर्देशानुसार गॉव दादीया तहसील सांगानेर जयपुर पहॅूचा, जहां परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर बुलाया तथा परिवादी ने संदिग्ध आरोपी दयाराम को फोन कर पूछा तो संदिग्ध आरोपी दयाराम मीणा लाईनमैन वाटिका जयपुर ने वाटिका मोड़ पर आकर मिलने को कहां जिस पर मैने परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री दयाराम मीणा के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये परिवादी को आवश्यक हिदायत कर मैरे पास से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑन करके सुपूर्द कर रवाना किया गया तथा मै वहीं पर आस पास अपनी गोपनीयता छुपाते हुये मुकीम रहा। कुछ समय बाद एक व्यक्ति मोटर साईकिल से परिवादी श्री बंटी के पास आया व दोनो आपस मे बाते करते हुये अपनी अपनी मोटर साईकिल से होटल शंकरलाल मावा वाला के अंदर गये। कुछ समय पश्चात परिवादी ने मेरे पास आकर वॉईस रिकॉर्डर सुपूर्द किया जिसको मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तत्पश्चात वहां से रवाना होकर मैं व परिवादी वापिस ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये है। उपस्थित परिवादी श्री बंटी यादव ने बताया कि आज दिनांक को आपके कार्यालय के श्री रविन्द्र कानि. मुझै दादीयां गॉव तहसील सांगानेर मे मिले। तथा मैने दयाराम मीणा लाईनमेन को अपने फोन से फोन कर पूछा तो दयाराम मीणा ने वाटिका मोड़ पर आकर मिलने को कहां इसके बाद श्री रविन्द्र कानि. ने मेरे व दयाराम मीणा लाईनमैन के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये आवश्यक हिदायत कर रविन्द्र कानि. ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑन करके मुझे सुपूर्द कर रवाना किया गया व श्री रविन्द्र जी वहीं आस पास ही थे। कुछ समय बाद दयाराम मीणा लाईन मेन मोटर साईकिल से मेरे पास वाटिका रिंग रोड मोड पर आया तथा हमने आपस मे बात करी, इसके बाद हम दोनो साथ साथ अपनी अपनी मोटर साईकिल से होटल शंकर लाल मावा वाले के अंदर चले गये थे। दयाराम मीणा ने मुझसे पहले लाईट की डीपी लगाने के लिये हमारे चारो घरो के प्रत्येक घर से आठ आठ हजार रू. रिश्वत के मांगे थे, फिरे मेरे निवेदन करने पर दयाराम प्रत्येक घर से पांच पांच हजार रू. रिश्वत के लेने को सहमत हुआ था। जिसमे से तीन घरो के 15000 रू. मुझे आज लाने के लिये दबाव बना रहा था, तथा एक घर के 5000 रू. स्वयं ले लेने के लिये कहां था। दयाराम मीणा के द्वारा रूपये मंगवाने पर आज मैने रेस्टोरेन्ट मे 8000 रू. नगद दिये थे बाकी 2000 रू. किसी अन्य व्यक्ति रामदयाल बैरवा के फोन पे नम्बर ' मे दयाराम मीणा के कहने पर डलवाये थे तथा मैने मेरे हिस्से के 5000 रू. गुरूवार को देने के लिये कहां था दयाराम मेरे हिस्से के पांच हजार रू गुरूवार को लेगा। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि कल मुझे आवश्यक कार्य होने के कारण दिनांक 12.06.2024 को मैं एसीबी कार्यालय मे उपस्थित हो जाऊंगा। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे परिवादी व संदिग्ध आरोपी दयाराम मीणा की रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना तो रिकॉर्डर मे संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग सम्बंधित वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी तथा डिजिटल वॉइस रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। दिनांक 12.06.2024 को समय 10.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबंदशुदा दोनों स्वतंत्र गवाह बोदीलाल शर्मा एवं श्री रामफुल मीणा व परिवादी श्री बंटी यादव उपस्थित ए.सी.बी. कार्यालय आये जिनका आपस मे परिचय

करवाया गया एंव गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया जाकर गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनो स्वतन्त्र गवाह ने गोपनीय कार्यवाही मे गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.15 ए.एम. पर परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री दयाराम मीणा लाईन मैन के मध्य दिनांक 07.06.2024 को परिवादी श्री बंटी यादव के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध आरोपी दयाराम मीणा के मध्य मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ता जिसको कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे परिवादी के मोबाईल का लाऊड स्पीकर ऑन कर रिकॉर्ड किया गया तथा दिनांक 10.06.2024 को संदिग्ध आरोपी दयाराम मीणा व परिवादी श्री बंटी यादव के मध्य आमने सामने हुई वार्ता, जो कि परिवादी द्वारा कार्यालय हाजा के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी, जो मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित है, उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया तथा परिवादी व उपस्थित गवाहान् श्री बोदीलाल शर्मा व श्री रामफुल मीणा को सुनाया गया। रिकॉर्डशुदा वार्ता से फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन पृथक से तैयार की गई। उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता में आरोपी श्री दयाराम मीणा लाईन मैन की आवाज एवं स्वयं परिवादी की आवाज की पहचान परिवादी श्री बंटी यादव द्वारा की गई। उक्त रूपान्तरण वार्तालाप का सम्बंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण सही होना परिवादी श्री बंटी यादव व उपस्थित स्वन्त्र गवाहान ने स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु चार खाली सीडियांे को खाली होना सुनिश्चित कर बारी-बारी कम्प्यूटर की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता की चार सीडीयां तैयार की जाकर सही होना सुनिश्चित कर मार्का "ए-1", "ए'-2", "ए-3" व "ए-4" अंकित किया गया। सीडी मार्का "ए-1", "ए'-2" व "ए-3" को पृथक-पृथक सफेद कपडे़ की थैलियों में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैलियों पर मार्का- "ए-1", "ए'-2" व "ए-3" अंकित कर शील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा सीडी मार्का "ए-4" को अनुसंधान हेतु खुला रखी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में उक्त वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त मूल डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सौनी कम्पनी का बरंग काला जिसके पीछे FM87.5 108MHZ R33021 लिखा हुआ है को सफेद कपडे़ की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर मार्का- डी.वी.आर.-1 अंकित कर शील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी बंटी यादव को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/- रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 13.06.2024 को प्रातः 09.30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने, गोपनीयता बनाये रखने एवं अन्य आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को भी दिनांक 13.06.2024 को प्रातः 09.30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बनाये रखने एवं अन्य आवश्यक निर्देश दिये जाकर रूखसत किया गया। कार्यालय स्टॉफ को प्रातः 09.30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया गया। परिवादी श्री बंटी यादव ने मन् पुलिस निरीक्षक को दिनांक 13.06.2024 को बताया कि श्री दयाराम मीणा ने मेरे घर पर लाईट की डी.पी. दिनांक 07.06.2024 को लगा दी थी फोन पर श्री दयाराम मीणा लाईन मैन से बात करने पर अब वह मेरे से रूपयो की मांग नहीं कर रहा है। परिवादी ने बताया कि शायद दयाराम मीणा को संदेह होने के कारण अब वह मेरे से पैसो की मांग नहीं कर रहा है तथा उसने मेरे द्वारा पूर्व मे दिये गये नगद रूपये 8000 रू. मेरे ताऊ भगवान सहाय जी को लोटा दिये है व मेरे द्वारा फोन पे पर दिये गये 2000 रू. मुझे वापिस मेरे फोन पे पर लोटा दिये है। अब दयाराम मीणा मुझसे पैसे नहीं लेगा। अतः अब ट्रैप कार्यवाही सम्भव नहीं है। आरोपी को ट्रैप की कार्यवाही की भनक लगने से परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने का प्रयास नही करने से आरोपी को गिरफ्तार नही किया जा सका। दिनांक 07.06.2024 को परिवादी बंटी यादव की संदिग्ध आरोपी दयाराम मीणा लाईनमैन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश निम्नांकित है, परिवादी बंटी आरोपी को डीपी लगाये के बदले पैसों के सम्बंध में कहता है , थाका पीसा अटक जावला थे याके न तो नगद लिया जा ज्यों बाके न तो म ले ल्यूंगो बाकी यांकन तो ले लीज्यों थे बदल जाब ला तो मन मत खी ज्यों फेर थे जिस पर दयाराम बोलता है , कुण कनैं इस पर परिवादी कहता है, या कने विका सेर कनैं तो जिस पर आरोपी कहता है , मैं लियाउ काई याकन सू परिवादी कहता है हां या कनै सू फेर मैं कोन ले सकु नहीं डूब जावला थाका पीसा आरोपी ने कहा ठीक चालो मैं ले ल्यूला फिर परिवादी ने कहा बाकी का में पन्द्रह हजार तो फेर मैं ले ल्यूला बा कनै तो यण याकनै तो थे ले ली ज्यों मैं कोनी याकी जिम्मेदारी आरोपी ने कहा श्ठीक छ मे ले ल्यूलो । दिनांक 10.06.2024 को संदिग्ध आरोपी दयाराम व परिवादी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आमने सामने हुये वार्ता के सम्बंध में वार्ता के मुख्य अंश निम्नलिखित है , परिवादी द्वारा आरोपी दयाराम से डीपी रखने की बात करते हुये परिवादी कहता है, तो ये काई पीस में ही होवलो दयाराम कहता है, काम तो म ही करूंगो न वो कनेक्शन लेवगा न तो वाने कलेक्शन मिले गो इस पर परिवादी कहता है, पण म एक ही चीज जाणु छु दयाराम जी सुणो इस पर आरोपी कहता है वू ही डीपी वूही डीपी सू कोनी जा व आपणी सू इस पर परिवादी कहता है, पीसा लागणा चाव म्हाका लाग्या जैया ही पीसा लागणा चाही जे फ्री म काम होव छः काई ढाणी म दोगलेपन छः यार फिर दयाराम कहता है, अगर डी.पी. रखवावगा न इस पर परिवादी कहता है, हा इस पर संदिग्ध आरोपी दयाराम कहता है, तो पीसा लागेला, डी पी तो थाके नाम छः पहली बात तो तत्पश्चात परिवादी कहता है, वो मुकेष तो दे दियो छो बापडो पण वो मान जी छः न उन कान ठीक वो ही बहखा दिया कै वे मन सुबह जाता ही घरा काई खेव छ कि..... इसके बाद आरोपी कहता है थे बताओ कुण-कुण

काई दिया कौन दिया ये बताओ परिवादी बन्टी यादव कहता है मनै मुकडयार दे दिया तीन हजार दे दिया वे फिर आरोपी दयाराम कहता है तीन क्यो परिवादी कहता है औया खेव छ दो हजार बाद में देवला, मर्करी लगाया बाद में भगवान काको अैया कह छ मर्करी लगा दी ज्यो ले जा ज्यो अैया खेव छः इस पर आरापी कहता है कि नही वा बात थोडी हुई छी म्हाके फिर परिवादी कहता है तो डलवाउं काई अबार ही फोन पे इस पर आरोपी कहता है भगवान जी सू बात करो न ईकी बात ही कौन मैं तो बार ही हित में लगायो छो मैं करतो ही कौनी एमैं बार ही रित मंे ही लगायो छु मैं तो कह रू छु एक नहीं पांच लगा द्यू भाई बंदी सू परिवादी कहता है नहंी पण वो कह र्या छ दो हजार दे द्यूला मैं, दे द्यूला मैं, बात करू लो वासू आरोपी बोलता है नहीं कोई मर्करी की बात कौनी चोरी को सिस्टम है थाका मीटर में और काई..... इस पर परिवादी कहता है अजी वो अैया कह रियो छः श् (तत्पचात आरोपी की अस्पष्ट आवाज) परिवादी कहता है नहीं वो अैया कह रियो छः मुकेष भाई साहब वो काई छः बडों काको पीसा कोन दियो छो न आरोपी कहता है वो तो दे..... फिर परिवादी कहता है जो वा अैया कह रियो छ बताउं काई जो बठे ना पांच हजार सू कम दे दे तो, वो म्हाकों बडो काको वा अैया कर रियो छो वो जो या कह रियो छो वोश् इस पर आरोपी कहता है भगवान जी एक बार म्हार सू भगवान जी ओर एक वा भंवरलाल जी छा न वो दोनी बात कर लेना एक बार वो इस पर परिवादी कहता है हां वो भी अैया ही कह छ (अस्पष्ट आवाज.....) आरोपी कहता है दो आदमी बात कर लेन जद्या कोई बात की बात छ पण ये कह देना की भई ये काम कर दे जणा या पक्की छः इस पर परिवादी कहता है वो वो अैया ही कह्यो छो, अब वो मैं काई सुबह गयो न जब मनै चार दे देतो फिर आरोपी दयाराम कहता है बात करबा चाव छः भगवान जी को फोन आ रह्यो मैं बात करूं । परिवादी कहता है जदै तो फोन पे करा ल्यू अबार ईक न दो इस पर आरोपी दयाराम कहता है भाई लाईट के लिये तो रोकबा को सिस्टम ही कोनी इस पर परिवादी कहता है लो (परिवादी बंटी द्वारा आरोपी दयाराम का आठ हजार रुपये नकद देते हुये) आरोपी दयाराम कहता है आठ छः इस पर परिवादी कहता है मैं तो म्हाका सुणो काई दो तीन दिन में गेहूं बिकर देर आउंला पैमेन्ट कोन आया म्हारो किता आगा आठ छः न फिर आरोपी कहता है (अस्पष्ट/मिश्रित आवाज) मालियां की ढाणी म पचास डाल दिया परिवादी कहता है मालिया की म इस पर आरोपी हां करता है। इस पर परिवादी कहता है और ये अतरा किया है इस पर आरोपी कहता है कम्पनी के थू्र है कोई (अस्पष्ट.....) दो हजार डलवाओ, बात करो परिवादी कहता है अर वो मुकेष भाई साहब भैया पुछ रया छः कता की छः या इस पर आरोपी दयाराम कहता है ये बताऔ मने काल देवला या परसो के दिन देवला परिवादी बोलता है म तो थाने द्यूला देखो आज सोमवार होगो न गुरूवार न द्यूला देखो म्हारो पेमेन्ट आवलो आरोपी कहता है उसू पहली कोनी फिर परिवादी कहता है गुरूवार पेहली मे दे दुयूला देखो थाने इस पर आरोपी दयाराम कहता है सोमवार मंगलवार, बुधवार, ब्रहस्पतिवार, गुरूवार, मे तो मे ही आगे निकल वाउ छुः म्हार कने (मिश्रित आवाज) इस पर परिवादी कहता है अजी एक साल तक में मै किता बछेडा खा लियो थाके सामाने एक साल तक रिक्वेस्ट कर लियो एप्लीकेषन इस पर आरोपी कहता है कैम्पा म परिवादी कहता है हॉ कैम्पा म दियो छो एप्लीकेषन जण कोई मतलब कोनी निकल दे र्यो ही कोन छः तो, वो म थोडो सो करयो उ न इस पर आरोपी कहता है हॉ उ को सिस्टम उ न (अस्पष्ट आवाज) उन न तो भगवान जी तडी मार मेल्या छ भगवान जी न अबार कहु पेहली भगवान जी बात करयो छो उसू पेहली फिर परिवादी कहता है नही उसू मै ही करयो छो बात पेहली हॉ, पेहली तो साढे आठ दे बा न तैयार हो गो छो आरोपी हां कहता है , परिवादी की आवाज अस्पष्ट .. फिर आरोपी दयाराम कहता है पेहली आपण घरा (मिश्रित/अस्पष्ट आवाज) दो तीन हजार में आपण काई न व (अस्पष्ट/मिश्रित आवाज) इस पर परिवादी बंटी कहता है म्हारा कोन छोडला क यार आरोपी कहता है हैय इसके बाद परिवादी कहता है तो म्हारा हजार रूपया भी न छोडा ला इस पर आरोपी कहता है (मिक्सर ज्यूसर की आवाज) मै तोे आठ आठ कह रिया छा थाने कह बा सू पांच पांच वाके पांच पांच थाके परिवादी कहता है अब यार मैं तो अती मेहनत और कर यूं छु यार दिनभरश् आरोपी कहता है थाकी बात सही छ पण जो बात हो जाये छ न (मिश्रित/मिक्सर की आवाज) परिवादी कहता है थाकी बात सही छ पण जो बात हो जाये छ न (मिश्रित/मिक्सर की आवाज) इस पर आरोपी कहता है मे, ये ही खिया छा भई आठ-आठ लेर्या छ मै पांच देउंगा, थे थाका जबान सू (बीच में परिवादी की हुं) फेर मैं उ ही सिस्टम सू बात कर्यू छु परिवादी कहता है तो अब चार म कौन होव क काम इस पर आरोपी कहता है चार में काई न भी देव तो काई परिवादी कहता है नही इस पर आरोपी दयाराम कहता है पाछे थोडी हटावेंगे व छः ई काम कोई चीज छः ये मान ल्यो मै भी (अस्पष्ट/मिश्रित आवाज) इस पर परिवादी फोन पर अन्य से वार्ता करते हुये कहता है हैलो ..... अजी ये भाई साहब मै बेठु छु म अण्डे दयाराम जी कनै दो हजार रूपया, बडो काको तो दे दियो पांच हजार, दो हजार रूपया डाल या नै, फोन पे डाल दे। इस पर आरोपी परिवादी को कहता है थारे कनै डलवा ले परिवादी फोन पर अन्य से बात करते हुये कहता है म्हारे डाल दे फोन पे बैठ्यू छु याकन दयाराम जी कनै, हैय हैय कौनी यार, कम कोनी होव ये अैया कह रया छः, बात हेगी न पांच की बात होगी, आठ-आठ की बात हुई छी पेहली तो आठ आठ हजार देणी छी, थाके आठ छ, भई ये अैया कह रयां छ की थाका कहबा सू पांच पांच कर दिया जो ही बडी मान नहीं अैया कह र्या छः, कि थे कताई बछेडा खाल्यो, डीपी रखा लेता देखा अता दिना होगा, हैय काई कर लियो हिसा अैया छः लागे ला ये तो बडो काको देर खन्दा दियो मनै तो पांच हजार रूप्या, हैय चालू ही कर लिज्यो, मै म्हारा भी बाकी छः जो आपा दोन्या का गुरूवार न दे देला आरोपी कहता है (मिश्रित/अस्पष्ट आवाज) वा नै काई मत ख्यो परिवादी कहता है चलो सुण

दो हजार यार अबार डलवा दु कोई कनै भी, अैया कर र्या छ अबार ही देबो जरूरी छः आरोपी कहता है थे डाल द्यो फेर ले लिज्यो वाकन परिवादी कहता है चल सुण म्हारे किस्ता छः शाम न कर दे तो तु किष्त का पड्या छ, किष्त छ मैं गुरूवार न देबा बेई कह र्यो छो, तो मै डाल द्यू,.....तो घरा आता ही तो दे देलो न मनै, घरा अबार आ जाउलो घरा दे देलो न, पीसा शाम न दे देला क मनैश् आरोपी कहता है नही तो भगवान जी कर ला, थाके तो भगवान की बात हुई छ इस पर परिवादी कहता है वो अैया कर र्या छ भगवान जी सू बात कर लू, पांच ही लागेला अैया कह र्या छः(फोन पर किसी अन्य से बात करते हुये) आरोपी कहता है यार थाके जतो फायदो कर छः जतो ही.....आठ आठ में ऐग्री हुया छा..... इस पर परिवादी फोन पर अन्य से वार्ता करते हुये कहता है अैया कर र्या छः आठ-आठ में एग्री हुया छा, फायदो कर दियो, अण्डे ही बैठ्या छा और थे पांच पांच में ही रो र्या छः आरोपी कहता है काम हुया बाद में अैया थोडी होव छः । परिवादी अन्य से फोन पर वार्ता करते हुये काम हुया बाद में अैया थोडी होव छ, अब ये अण्डे ही बैठ्या छः बडो काको तो देर खन्दा दियो भाई साहब की सोगन पांच हजार पूरा भाया की सोगन, चल ठीकए सुणो शाम बेई कर र्या छः काई करा आरोपी बोलता है कोई बात कोन शाम की थे ले लिज्यो इस पर परिवादी बोलता है फेर न दियो तो दयाराम जी (अस्पष्ट एवं मिश्रित आवाज) आरोपी दयाराम कहता है न देव न फेर मैं भगवान जी न कह र दिलवा द्यू लो परिवादी कहता है हां, म्हारा, मनै मत घलवा दिज्यो थे तो दो हजार की (अस्पष्ट एवं मिश्रित आवाज) ए हैय, ज्यूस का म्हारे मत लगवा दिज्यो, मैं तो फेर जिन्दगी मैं बोलू कोनी था सू फेर आरोपी कहता है थारे क्यू लागेला वो बात हुई छी भगवान जी न तडी पिलवा दूंगो वा तो (अस्पष्ट वार्ता) इस पर परिवादी कहता है भाई न देवगो तो वा अैया कह र्यो छो तीन हजार ही देवुला मैं आरोपी कहता है पीसा कौन देवगो, मन बता दिज्यो मैं भगवान जी सू तडी पिलवा द्यूंगो, आदमी की ईमेज अण्डे सू ही बणती जावे छ कोडे भी हो काई भी हो बलाई सूं परिवादी कहता है सही बात छ, आगे भी कोई काम करवाणा छ वा तो आरोपी कहता है हैय, फूलजी आज फोन कर्यो छो थाने पांच बज्या बिना खिया ही फोन पे कर दयूंगो , (मिश्रित आवाज) व्यवहारी छ उकैन पीसा लिआवा बार जार परिवादी कहता है हैय, नम्बर ल्यो बताओ छियानवे आरोपी कहता है छियानवे, साठ परिवादी - साठ , आरोपी-सत्ताईस , परिवादी -सत्ताईस , आरोपी-अडसठ, परिवादी- अडसठ , आरोपी-सत्तर, परिवादी- सत्तर, रामदयाल बैरवा (फोन की घंटी की आवाज 31 मिनिट 33 सैकेण्ड) थे यार अजय न काई कह दिया भैस की आरोपी कहता है काई कह दियो , पीसा बेई तो मैं ही कह दियो थाने भाई खिया ही कोनी परिवादी कहता है मैं अैया ही खियो जो भई जेइअन साहब आपने तो कहा ही होगा साल छः महीना में प्रयास कर र्यू छु की आपणे डीपी रख द्योश् आरोपी कहता है अस्पष्ट.....) दूसरो जेइअन आ जाल्यो वो ढाणी का बडबला र्या छ न परिवादी कहता है पूछ ल्यो दयाराम जी पीसा कर दियो म दो हजार रूपया वाने आरोपी दयाराम कहता है थे वाने अैया मत खिज्यो की भाई म गुरूवार न देवूलो परिवादी कहता है मैं अैया खेउला की मै दि आयो अ दे मनै पीसा मन आरोपी कहता है नहीं थाका के भी याही कह की मैं दे आयो परिवादी कहता है हां म्हारा बे भी हां आरोपी कहता है दयाल, दो हजार रू आगा, (फोन पर वार्ता) हैलो फिर परिवादी कहता है आगा नए वो तो ले ल्याला पण वो भगवान जी अैया कर र्या छ भाई थे रामसर भाया र न, जब बैठे न दयाराम जी ने जद कह दी ज्यो कोडी, भाई को रामसर भाया न, देखो पीसा तो अबार म्हे दिया छ आरोपी कहता है म्हाका पुराणा मकान छ न उण्डी परिवादी कहता है हां वो कोडी थाने दस हजार देव थे भैंस की खिचो र मीटर या को भी आरोपी कहता है नही परिवादी कहता है हैय फिर आरोपी कहता है नहीं, वो म्हार सू तो वा लक्ष्मीनारायण जी सू बात कर वो पीसा देव तो भी न करू परिवादी कहता है ठीक दयाराम जी अब थाने पांच हजार देणो छ ओनली फूल जी का थे लेता रिज्यो म्हारे पे लोड मत दिज्यो आरोपी कहता है ओव परिवादी कहता है और दो हजार भी थे दुवावला मन याकन आरोपी दयाराम कहता है वो तो बात हुई जी या तो दुवाबा कुवादा की कोनी देवगा ही वातो परिवादी बंटी कहता है मन न देवगो तो मैं कोनी भुगतु लो, मुकड्यो थोडो औया तेज पडे छ वो देव कोनी आरोपी दयाराम मीणा कहता है तो भी दी आयो (अस्पष्ट आवाज.....) न देव तो मन एक बार फोन कर ज्यो परिवादी बंटी कहता है मैं फोन कर द्यूला। उपरोक्त रूपान्तरण वार्ताओं परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मूर्तिब शुदा फर्दात से स्पष्ट है कि परिवादी श्री बन्टी यादव द्वारा उसके गाव मे प्रशासन शहरो के संग अभियान में सहायक अभियन्ता को जयपुर में एक प्रार्थना पत्र लाईट की समस्या को दूर करने के लिए ट्रासंफामर लगाने के लिए दिनांक 16.06.2023 को पेश किया था। तत्पश्चात परिवादी द्वारा बार-बार निवेदन करने के पश्चात भी ट्रासंफामर नहीं लगवाया गया। श्री दयाराम मीणा लाईनमैंन द्वारा परिवादी के वैध कार्य के लिए चार घरो से प्रत्येक घर से 8000-8000/- रुपये की रिश्वत की मांग की थी , परिवादी द्वारा निवेदन करने पर आरोपी श्री दयाराम मीणा द्वारा डी.पी (ट्रासंफार्मर) लगाने के लिये चारों घरों से प्रत्येक से 5000-5000/- रुपये कुल 20,000/-रूपये की रिश्वत राशि लेने की मांग कर सहमत हुआ था, जिसमें से तीन घरों के 15000/- रुपये परिवादी बंटी से लाने के लिये कहा तथा एक परिवार के हस्से के 5000/- रुपये की रिश्वत राशि स्वयं द्वारा कलेक्ट कर लेने हेतु कहा था। उक्त रिश्वत मांग राशि में से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 10.06.2024 को आरोपी दयाराम मीणा लाईनमैन द्वारा परिवादी बंटी यादव से 8000/- रुपये नकद व 2000/- रुपये परिवादी के फोनपे से अन्य व्यक्ति श्री रामदयाल बैरवा के मोबाईल नं. पर जरिये फोनपे करवा कर प्राप्त किये तथा परिवादी के हिस्से के 5000/-रुपये आरोपी दयाराम मीणा द्वारा गुरुवार दिनांक 13.06.2024 को लाने के लिये कहा गया था। आरोपी श्री दयाराम मीणा लाईनमैन का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988

(यथा संशोधित 2018) का बनना पाये जाने से आरोपी श्री दयाराम मीणा पुत्र श्री हरिनारायण मीणा निवासी चान्दा की झोपडियां पोस्ट बडा गांव सरवाड हाल टेक्नीशियन द्वितीय कार्यालय सहायक अभियंता (पबस) जेविविएनएल वाटिका जयपुर के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। भवदीया, (अर्चना मीणा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू प्रथम, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अर्चना मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दयाराम मीणा पुत्र श्री हरिनारायण मीणा निवासी चान्दा की झोपडियां पोस्ट बडा गांव सरवाड हाल टेक्नीशियन द्वितीय कार्यालय सहायक अभियंता (पबस) जेविविएनएल वाटिका जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 63 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 856-58 दिनांक 5.8.2024 प्रतिलिपि:.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या–1, जयपुर। 2 मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू प्रथम, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Sajjan Kumar **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/08/2024 14:2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	03/02/1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)